कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद फतेहपुर

प्रेस- नोट, जनपद फतेहपुर

दिनांक 23.07.2026

थाना हथगांव पुलिस द्वारा गौ हत्या के अभियोग से संबंधित प्रकाश में आये 02 अभियुक्तों को पुलिस मुठभेड़ के दौरान में घायल अवस्था में किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 02 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जिंदा कारतूस 315 बोर, 02 खोखा कारतूस 315 बोर, 03 लोहे के चापड़ व एक लकड़ी ठीहा, 02 प्लास्टिक तिरपाल, 01 बोरा(जुट का) एवं एक चोरी की मोटर साइकिल बरामद।

जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक फतेहपुर के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी थरियांव के कुशल नेतृत्व में थाना हथगांव पुलिस द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुए मुठभेड़ में 02 शातिर अभियुक्तों को घायल/गिरफ्तार किया ।

घटना का संक्षिप्त विवरण- दिनांक 18.07.2026 को थाना हथगांव क्षेत्रान्तर्गत ग्राम अमिलिहापाल के पास नहर पुलिया के निकट गोवंश के कटे हुए अवशेष मिलने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुँची तथा प्रथम दृष्टया अज्ञात व्यक्तियों द्वारा गोवध कर गोवंश के अवशेष फेंकना प्रतीत होने पर पशु चिकित्साधिकारी को सूचित कर आवश्यक विधिक कार्यवाही कराई गई। उक्त सूचना के आधार पर थाना हथगांव पर मु0अ0सं0 139/2026, धारा 3/5/8 उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम, 1955 पंजीकृत किया गया।

मुठभेड़ एवं गिरफ्तारी का विवरण:- दिनांक 23.07.2026 को मु0अ0सं0 139/2026 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम की विवेचनात्मक कार्यवाही, प्रभावी सुरागरसी- पतारसी एवं मुखबिर खास की सूचना पर प्रकाश में आये अभियुक्त शमीम पुत्र स्व0 नफीस निवासी रज्जीपुर छिवलहा थाना हथगांव जनपद फतेहपुर, उम्र करीब 28 वर्ष एवं आफताब आलम पुत्र स्व0 अमीर अहमद निवासी पीरनपुर थाना कोतवाली नगर जनपद फतेहपुर, उम्र करीब 35 वर्ष की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम द्वारा अम्बापुर मोड़ पर चेकिंग की जा रही थी। पुलिस टीम को देखकर अभियुक्त मोटरसाइकिल से भागने लगे। पीछा करने पर आदर्श पब्लिक स्कूल के आगे कच्चे रास्ते में पानी भरे गड्ढे के कारण मोटरसाइकिल गिर गई। अभियुक्तों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया। आत्मरक्षा में पुलिस द्वारा जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें शमीम के बाएं पैर तथा आफताब आलम के दाएं पैर में गोली लगने से दोनों घायल हो गए तथा घायलों को उपचार हेतु सीएचसी हथगांव भेजा गया। घटनास्थल का निरीक्षण क्षेत्राधिकारी थरियांव एवं फॉरेंसिक टीम द्वारा किया गया । तथा उपरोक्त घटना के संबंध में मु0अ0सं0 142/2026, धारा 109 BNS व 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना हथगांव में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण- अभियुक्तगण शमीम पुत्र स्व० नफीस एवं आफताब आलम पुत्र स्व० अमीर अहमद ने संयुक्त रूप से पूछताछ में बताया कि वे अपने अन्य साथियों चिम्मन उर्फ नसीम एवं इमरान पुत्र मुकीम के साथ मिलकर गोकशी का कार्य करते हैं। दिनांक 17/18.07.2026 की रात्रि में छिवलहा क्षेत्र में अमिलिया पाल जाने वाले मार्ग पर नहर के पास सभी ने मिलकर 02 गाय एवं 01 बछड़ा काटा था। दोनों अभियुक्तों ने बताया कि पुलिस अथवा अन्य व्यक्तियों से बचने के लिए वे अपने पास अवैध तमंचा रखते हैं, ताकि घिरने की स्थिति में फायर कर मौके से भाग सकें। बरामद बिना नम्बर की मोटरसाइकिल के संबंध में उन्होंने बताया कि उक्त मोटरसाइकिल दोनों ने मिलकर कस्बा हथगांव स्थित कब्रला मेला/प्रदर्शनी के बाहर से चोरी की थी, जिसका उपयोग गोकशी करने एवं मांस को विभिन्न स्थानों तक ले जाने में किया जाता था। दोनों अभियुक्तों ने बरामद तमंचों को अवैध बताते हुए स्वीकार किया कि उनके पास उनका कोई वैध लाइसेंस अथवा अभिलेख नहीं है।

घायल/गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1.शमीम पुत्र स्व0 नफीस, निवासी रज्जीपुर छिवलहा थाना हथगांव जनपद फतेहपुर, उम्र 28 वर्ष।
2.आफताब आलम पुत्र स्व0 अमीर अहमद, निवासी 420 पीरनपुर थाना कोतवाली जनपद फतेहपुर, उम्र करीब 35 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

1- 02 तमंचा 315 बोर
2- 02 खोखा कारतूस 315 बोर
3- 02 जिंदा कारतूस 315 बोर
4- 03 चापड़ (बाका) लोहा
5- 01 लकड़ी का ठीहा
6- 02 प्लास्टिक तिरपाल रंग नीला
7- 01 बोरा(जुट का)
8- 01 चोरी की एक पैशन प्रो मोटर साइकिल (बिना नम्बर) ।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. घायल अभियुक्त शमीम का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 25/2019 धारा 3/5A/8 गोवध अधि0 व 4/25 आर्म्स एक्ट, थाना हथगांव जनपद फतेहपुर।
2. मु0अ0सं0 139/2026, धारा 3/5/8 उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम, 1955 हथगांव
3. मु0अ0सं0 142/2026, धारा 109 BNS व 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना हथगांव

1. घायल अभियुक्त आफताब आलम का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 352/2012 धारा 323/498ए/506 भादवि व ¾ डीपी एक्ट थाना कोतवाली जनपद फतेहपुर।
2. मु0अ0सं0 48/2025 धारा 115(2)/117(2)/352 बीएनएस थाना कोतवाली जनपद फतेहपुर।
3. मु0अ0सं0 139/2026, धारा 3/5/8 उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम, 1955 थाना हथगांव
4. मु0अ0सं0 142/2026, धारा 109 BNS व 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना हथगांव

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना हथगांव पुलिस टीम

1. प्रभारी निरीक्षक अरुण चतुर्वेदी थाना हथगाँव जनपद फतेहपुर
2. उ0नि0 उत्कर्ष मिश्रा
3. उ0नि0 अखिलेश यादव
4. उ0नि0 आलोक कुमार
5. हे0का0 राजेश सिंह

6. का0 रणबीर सिंह
7. का0 रोहित कुमार
8. का0 विजय कुमार
9. का0 विपिन कुमार
10. का0 चालक विनय कुमार
11. रि0का0 मो0 राहिल
12. रि0का0 सियम मौर्य
13. रि0का0 पवन यादव
14. रि0का0 गौतम विश्वकर्मा
15. रि0का0 विमल यादव
16. रि0का0 अभिषेक यादव
17. म0का0 अजंनी
18. रि0म0का0 रश्मि वर्मा